

कार्यालय आदेश क्र-1

संख्यां नं. 148

स. संदी। बी. आर। 125 / विविध पत्राचार

कार्या. रक्षा लेखा प्रधान निपन्त्राक (सी.स)

सीमा सड़क भवन

दिल्ली द्वावनी-110010

दि. 2/1/2014

विषय :- वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित विनिमय शब्दीय बाजार दर एवं पूर्व यू एस एस आर को भारत के रुबल मुख्य बर्गी के ऋण का पुनर्मुगतन-विषय मुद्रा बर्गी (16) मुद्राओं के रुपया में परिवर्तन।

X

उपरोक्त विषय पर रक्षा लेखा महानिपन्त्राक कार्यालय के दि. 29/11/2013 के पत्र सं. लेखा /111/70961 ई. आर/ओआर/13-14 के अधिन प्राप्त भारत सरकार रक्षा मंत्रालय/वित्त/बजट-ग्र 7 के दिनांक 13/11/2013 की द्वाया प्रीत आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि इसकी प्रतिक्रिया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित करें। कृपया पावती दें।

प्रतिक्रिया सेवा में

रक्षा
लेखा अधिकारी (आडिट)

- ① रक्षा लेखा महानिपन्त्राक, उलन बटार मार्ग, पालम, दिल्ली द्वावनी-10 — सूचनार्थ
- ② रक्षा लेखा निपन्त्राक (सी.स) गुवाहटी
- ③ रक्षा लेखा संयुक्त निपन्त्राक (सी.स) चण्डीगढ़
- ④ वित्त लेखा कार्या (ओ.फ.) पुणे-15
- ⑤ प्रभारी अधिकारी, ई. डी. पी. अनु. स्थानीय बैंक साईट अपडेशन हेतु।

रक्षा
लेखा अधिकारी (आडिट)

रक्षा मंत्रालय (वित्त)
(बजट-11)

विषय: पूर्व यू एस एस आर को भारत के रुबल मूल्य वर्ग के ऋण का पुनर्भुगतान - विशेष मुद्रा बास्केट (16 मुद्राओं) के रुपया मूल्य में परिवर्तन।

भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई ने अपने दिनांक 14.11.2013 के फैक्स द्वारा यह सूचित किया है कि विशेष मुद्रा बास्केट (16 मुद्राओं) के रुपया मूल्य को नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया गया है:-

रुपया मूल्य

86.513657

से प्रभावी

18.11.2013

2. उपर्युक्त परिवर्तन को रुपया मूल्य के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए नोट किया जाए।
3. विशेष मुद्रा बास्केट (16 मुद्राओं) के लिए रुपए के नए मूल्य, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है 30 अप्रैल, 1981 एवं 23 दिसंबर, 1985 को हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल के नियमों के अनुसार करारों के सभी विलंबित भुगतानों पर लागू है।
4. कृपया, उपर्युक्त उल्लिखित संशोधित विशेष मुद्रा बास्केट दरों के कारण होने वाले भुगतानों तथा तदनुसार संशोधित देयताओं की गणना की जाए।

6579
26 NOV 2013

सुधीर चक्र
सं. वित्त. स. (वित्त/बजट)

1. रक्षा मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव
2. सभी अपर वि०स०/ वि०प्र०
3. सभी निदेशक/उ०वि०स०
4. निदेशक (पी एंड सी), डीपीपी
5. एडीजीएफपी-3
6. डीएनपी (नौसेना मुख्यालय)
7. निदेशक(एफपी)/वायुसेना मुख्यालय
8. ए सा आई डी एस (एफपी)/ आई डी एस मुख्यालय
9. सीसीआर एंड डी/डीआरडीओ

र०मं०(वित्त)अ०वि०स० 230(14)94/2006बी-11/खंड-1 दिनांक 20.11.2013

प्रति निम्नलिखित को भी भेजी जाती है:

1. रक्षा लेखा महानियंत्रक, उलन बटार मार्ग, पालम, दिल्ली छावनी ।
2. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक मुख्यालय, नई दिल्ली ।
3. सेना मुख्यालय में एम जी ओ पीपीओ-4 ।
4. नौसेना मुख्यालय में डी एस ए क्यू ।
5. वायुसेना मुख्यालय में डीडीएफपी ।
6. सदस्य (वित्त) आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता ।
7. वरिष्ठ संभारिकी अधिकारी एआरसी (वायुसेना विंग) ब्लाक-V, (पूर्व), आर०के०पुरम, नई दिल्ली-110066
8. ओ-2पी अनुभाग, कमरा संख्या 14, साउथ ब्लाक ।
9. प्रधान लेखा निदेशक (निर्माणी) 10-ए, एस०के०बोस मार्ग, कोलकाता ।
10. लेखा अधिकारी (र०ले०वि०), एचएएल नासिक ।
11. लेखा अधिकारी (र०ले०वि०), एचएएल लखनऊ ।

अति तत्काल

रक्षा मंत्रालय (वित्त)

बजट-11

विषय: पूर्व यू एस एस आर को भारत के रुबल मूल्य वर्ग के ऋण का पुनर्भुगतान।

संदर्भ: रक्षा मंत्रालय (वित्त) अ0वि0सं0 230(14)/94/बी-11/खंड-1/दिनांक...28.10.2013

मुम्बई स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 14.11.2013 के फैक्स द्वारा यह सूचित किया है कि एस डी आर बास्केट दर पर रुपए का मूल्य, (जोकि पूर्ववर्ती यू एस एस आर को भारत के रुबल मूल्य वर्ग के ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए लागू है) जो 93.8393... रुपए था और 17.10.2013... से प्रभावी है, को नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया गया है:-

एस डी आर 1 = 96.9011... रुपए 18.11.2013... से प्रभावी

2. भारत सरकार और रूसी फेडरेशन सरकार के बीच 29 जनवरी, 1993 को हुए करार के पैरा 7 की शर्तों के अनुसार ऋण के गैर पुनःअधिसूचित (नॉन-रिशिड्यूल पोर्शन) भाग के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के संबंध में कृपया इस दर को उल्लिखित तारीख से प्रभावी समझा जाए।

सुधीर चंद्र

सहायक वित्तीय सलाहकार (बजट)

1. रक्षा मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव
2. रक्षा मंत्रालय (वित्त) के सभी अपर वि0स0/वि0प्र0/निदेशक/उ0वि0स0
3. निदेशक (पी एंड सी), डीपीपी, रक्षा मंत्रालय
4. एडीजीएफपी-3 (सेना)
5. डीएनपी (नौसेना मुख्यालय),
6. डीएफपी (वायुसेना मुख्यालय)
7. आई डी एस मुख्यालय, कश्मीर हाऊस

र0मं0(वित्त)अ0वि0स0 230(14)94/बी-11/खंड-1 दिनांक 20.11.2013

प्रति प्रेषित: वि0स0(र0से0) के प्रधान निजी सचिव, सचिव(ईएसडब्ल्यू) के प्रधान निजी सचिव, सचिव(डीपी) के प्रधान निजी सचिव, र. रक्ष(र.) के प्रधान निजी सचिव

प्रति निम्नलिखित को भी भेजी जाती है:

1. निदेशक (ईई), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ।
2. रक्षा लेखा महानियंत्रक, उलन बटार मार्ग, पालम, दिल्ली छावनी ।
3. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक मुख्यालय, नई दिल्ली ।
4. सेना मुख्यालय में एम जी ओ पीपीओ-4 ।
5. लेखा अधिकारी (पीएसवी), साउथ ब्लाक ।
6. वायुसेना मुख्यालय में डीडीएफपी ।
7. सदस्य (वित्त) आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता ।
8. वरिष्ठ संचारिकी अधिकारी एआरसी (वायुसेना विंग) ब्लाक-V, (पूर्व), आर०के०पुरम, नई दिल्ली-110066
9. ओ-2पी अनुभाग, कमरा संख्या 14, साउथ ब्लाक ।
10. प्रधान लेखा निदेशक (निर्माणी) 10-ए, एस०के०बोस मार्ग, कोलकाता ।
11. लेखा अधिकारी (र०ले०वि०), एचएएल नासिक ।
12. लेखा अधिकारी (र०ले०वि०), एचएएल लखनऊ ।

A/1111

Ministry of Defence (Fin)
(Budget -II)

Subject: Exchange rates of conversion of foreign currency into Indian Currency or vice - versa effective from 8.11.2013 notified by the Ministry of Finance, Department of Revenue.

In continuation of Ministry of Defence (Finance)'s ID No. 230(1)/2009/B-II dated 18.10.2013, a copy of Department of Revenue Notification No. 109/2013-Customs (N.T) dated 7.11.2013 on the above subject is forwarded herewith for necessary compliance.

S. C. Jana
(S.C. Jana)

A.F.A (Budget-I)

Encl. As above

1. Dte. of Financial Planning (FP-3), AHQ
2. Air HQrs. (Dte. of Financial Planning)
3. DNP, Naval HQrs
4. R&D Organization (DMM)
5. DGOE, New Delhi
6. AFA (ATVP)
7. AFA (BRDB)
8. Planning Officer (Def), (Dte. of Planning and Coordination), DDP.
9. Cash Section MoD(Fin).



MoD (Fin) I. D. No. 230(1)/2009/B-II Dated 13.11.2013

Copy to : 1. D(N-I), 2. D(N-II), 3. D(Air-I), 4. D(Air-IV), 5. DDMC-I Room No. 3-A, 6. D(Prod), 7. D(O-I), 8. D(GS-IV), 9. MGO(PPO-4), 10. MGO(PPO-5), 11. MGO(PPO-3), 12. IFA(Army), 13. IFA(Navy), 14. IFA(Air Force), 15. Dir(P&C), 16. Dir(Fin/O), 17. Dir(AF/EQPT), 18. Dir(Fin/R&D), 19. Dir(DP), 20. Dir(AF/Org), 21. Dir(Fin/PSU), 22. MOD(Cash Section)- 2 copies, 23. DGQA, 24. APMO (Budget), 25. Fin/O2P, 26. MGO/EM(GS&C), 27. DFA (GS).

Copy also to: 1. CGDA New Delhi, 2. PCDA Hqrs, New Delhi, 3. CDA(R&D) New Delhi, 4. CDA (N)Bombay, 5. Project Manager APMO Air Hqrs, 6. Controller of Finance OFB Kolkatta, 7. Asstt. Dir(Budget)Coast Guard Hqrs National Stadium New Delhi, 8. CDA(R&D) Bangalore, 9. CC of AFYS Kolkatta, 10. CDA(BR) Seema Sadak Bhawan Ring Road Naraina, Delhi Cantt, 11. IF Army(M) Kashmir House New Delhi, 12. CDA, 107, Lower Agram Road, Agram Post, Bangalore

रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग)

बजट-11 अनुभाग

विषय:- वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित 8.11.2013 से प्रभावी, विदेशी मुद्रा की भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा की विदेशी मुद्रा में परिवर्तन की विनिमय दर ।

रक्षा मंत्रालय (वित्त) के दिनांक 18.10.2013 की अ0वि0 संख्या 230(1)/2009/ब0-11 के क्रम में राजस्व विभाग की दिनांक 7.11.2013 की अधिसूचना संख्या 109/2013-शुल्क (एन टी) की एक प्रति आवश्यक अनुपालन के लिए अप्रेषित की जाती है ।

सुधीर चंद्र

सहायक वित्तीय सलाहकार (बजट-11)

संलग्न. उपर्युक्त ।

1. वित्तीय योजना निदेशालय (वि0यो-3)- दो प्रतियां ।
2. वायु मुख्यालय (वित्तीय योजना निदेशालय) - दो प्रतियां ।
3. डीएनपी, नौसेना मुख्यालय - दो प्रतियां ।
4. अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीएमएम) ।
5. आरसीपीओ, नई दिल्ली ।
6. स0वि0स0 (एटीवीपी) 7. स0वि0स0 (बीआरडीबी) मुख्यालय/आईडीएस 8. योजना अधिकारी (रक्षा), (योजना एवं समन्वय निदेशालय) ।
9. र0मं0 (वित्त) रोकड़ अनुभाग-2 प्रतियां ।

र0मं0(वि0प्र0) अ0वि0 सं0 230(1)/2009/बजट-11 दिनांक 13.11.2013

प्रति प्रेषित- 1. रक्षा (एन-1), 2. रक्षा (एन-11), 3. रक्षा (वायु-1), 4. रक्षा (वायु-IV), 5. जेडीएमसी-1 कमरा संख्या 392, सेना मुख्यालय, 6. रक्षा (उत्पादन), 7. रक्षा(ओ-1), 8. रक्षा(जीएस-IV), 9. एमजीओ(पीपीओ-04), 10. एमजीओ (पीपीव-5), 11. एमजीओ(पीपीओ-3), 12. आईएफए(सेना), 13. आईएफए(नौसेना), 14. आईएफए(वायुसेना), 15. निदेशक (पीएंडसी), 16. निदेशक (वित्त/ओ), 17. निदेशक (वा0से0/उपस्कर), 18. निदेशक (वित्त/अनु0 एवं विकास), 19. निदेशक (डीपी), 20. निदेशक(वायु/संगठन), 21. निदेशक (वित्त/पीएसयू), 22. रक्षा मंत्रालय (रोकड़ अनुभाग)-दो प्रतियां, 23. डीजीक्यूए, 24. एपीएमओ (बजट), 25. वित्त/ओ2पी, 26. एमजीओ/ईएम(जीएस एंड सी) 27. डी०शु०र० (जी०र०स०)

इन्हें भी प्रति प्रेषित :- 1. र0ले0म0नि0 नई दिल्ली, 2. र0ले0नि0 मुख्यालय, नई दिल्ली, 3. र0ले0नि0(अनु0 एवं विकास) र0ले0नि0 (नौसेना), मुम्बई, 5. परियोजना प्रबंधक एपीएमओ वायुसेना मुख्यालय, 6. वित्त नियंत्रक, आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता, 7. सहायक निदेशक (बजट) तट रक्षक मुख्यालय, नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली, 8. रक्षा लेखा नियंत्रक (अनु0 एवं विकास) बेंगलुरु, 9. सीसी और एफवाईएस कोलकाता, 10. र0ले0नि0 (सीमा सड़क), सीमा सड़क भवन, रिग रोड नारायण, दिल्ली छावनी, 11. आईएफ सेना(एम) कश्मीर हाऊस, नई दिल्ली, 12. र0ले0नि0 107, लोवर अग्रम रोड, अग्रम पोस्ट बेंगलुरु ।

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii), EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATION
NO.109/2013-CUSTOMS (N.T.)

DATED THE 7th November, 2013
16 Kartika, 1935(SAKA)

S.O. (E). – In exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in super session of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.105/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 17th October, 2013 *vide* number S.O.3119 (E), dated the 17th October, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such super session, the Central Board of Excise and Customs hereby determines that the rate of exchange of conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of each of Schedule I and Schedule II annexed hereto into Indian currency or *vice versa* shall, with effect from 8th November, 2013 be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof, for the purpose of the said section, relating to imported and export goods.

SCHEDULE-I

S.No.	Foreign Currency	Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees	
		(a)	(b)
(1)	(2)	(3)	
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
1.	Australian Dollar	60.10	58.55
2.	Bahrain Dinar	170.85	161.50
3.	Canadian Dollar	60.85	59.30
4.	Danish Kroner	11.55	11.15
5.	EURO	85.70	83.70
6.	Hong Kong Dollar	8.15	8.00
7.	Kuwait Dinar	227.85	214.65
8.	New Zealand Dollar	53.00	51.70
9.	Norwegian Kroner	10.65	10.35
10.	Pound Sterling	101.80	99.55

Contd...2/...

11.	Singapore Dollar	51.00	49.80
12.	South African Rand	6.30	5.90
13.	Saudi Arabian Riyal	17.15	16.25
14.	Swedish Kroner	9.80	9.50
15.	Swiss Franc	69.55	67.90
16.	UAE Dirham	17.55	16.60
17.	US Dollar	63.10	62.10

SCHEDULE-II

S.No.	Foreign Currency	Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees	
		(a)	(b)
(1)	(2)	(3)	
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
1.	Japanese Yen	64.30	62.75
2.	Kenya Shilling	75.65	71.10

[F.No.468/03/2013-Cus.V]

(M. SATISH KUMAR REDDY)
DIRECTOR (ICD)
TELE: 2309 3380

AT 119 10
Ministry of Defence (Fin)
(Budget-II)

Subject: Exchange rates of conversion of foreign currency into Indian Currency or vice - versa effective from 6.12.2013 notified by the Ministry of Finance, Department of Revenue.

In continuation of Ministry of Defence (Finance)'s ID No. 230(1)/2009/B-II dated 25.11.2013, a copy of Department of Revenue Notification No. 117/2013-Customs (N.T) dated 5.12.2013 on the above subject is forwarded herewith for necessary compliance.


(S.C. Jana)

A.F.A (Budget-I)

Encl. As above

1. Dte. of Financial Planning (FP-3), AHQ
2. Air HQrs. (Dte. of Financial Planning)
3. DNP, Naval HQrs
4. R&D Organization (DMM)
5. DGOF, New Delhi
6. Planning Officer (Def),(Dte. of Planning and Coordination), DDP.
7. Cash Section MoD(Fin).

MoD (Fin) I. D. No. 230(1)/2009/B-II Dated 9 .12.2013

Copy to : 1. D(N-I), 2. D(N-II), 3. D(Air-I), 4. D(Air-IV), 5. DDMC-I Room No. 3-A, 6. D(Prod), 7. D(O-I), 8. D(GS-IV), 9. MGO(PPO-4), 10. MGO(PPO-5), 11. MGO(PPO-3), 12. IFA(Army), 13. IFA(Navy), 14. IFA(Air Force), 15. Dir(P&C), 16. Dir(Fin/O), 17. Dir(AF/EQPT), 18. Dir(Fin/R&D), 19. Dir(DP), 20. Dir(AF/Org), 21. Dir(Fin/PSU), 22. MOD(Cash Section)- 2 copies, 23. DGQA, 24. APMO (Budget), 25. Fin/O2P, 26. MGO/EM(GS&C) 27. DFA (GS) 28. AFA (ATVP) 29.AFA (BRDB)

Copy also to: 1. CGDA New Delhi, 2. PCDA Hqrs, New Delhi, 3. CDA(R&D) New Delhi, 4. CDA (N)Bombay, 5. Project Manager APMO Air Hqrs, 6. Controller of Finance OFB Kolkatta, 7. Asstt. Dir(Budget)Coast Guard Hqrs National Stadium New Delhi, 8. CDA(R&D) Bangalore, 9. CC of AFYS Kolkatta, 10. CDA(BR) Seema Sadak Bhawan Ring Road Naraina, Delhi Cantt, 11. IF Army(M) Kashmir House New Delhi, 12. CDA, 107, Lower Agram Road, Agram Post, Bangalore

रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग)

बजट-11 अनुभाग

विषय:- वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित 6.12.2013 से प्रभावी, विदेशी मुद्रा की भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा की विदेशी मुद्रा में परिवर्तन की विनिमय दर ।

रक्षा मंत्रालय (वित्त) के दिनांक 25.12.2013 की अ०वि० संख्या 230(1)/2009/ब०-11 के क्रम में राजस्व विभाग की दिनांक 5.12.2013 की अधिसूचना संख्या 117/2013-शुल्क (एन टी) की एक प्रति आवश्यक अनुपालन के लिए अग्रेषित की जाती है ।

सुधीर चंद्र

सहायक वित्तीय सलाहकार (बजट-11)

संलग्न. उपर्युक्त ।

1. वित्तीय योजना निदेशालय (वि०यो-3)- दो प्रतियां ।
2. वायु मुख्यालय (वित्तीय योजना निदेशालय) - दो प्रतियां ।
3. डीएनपी, नौसेना मुख्यालय - दो प्रतियां ।
4. अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीएमएम) ।
5. आरसीपीओ, नई दिल्ली ।
6. स०वि०स० (एटीवीपी) 7. स०वि०स० (बीआरडीबी) मुख्यालय/आईडीएस 8. योजना अधिकारी (रक्षा), (योजना एवं समन्वय निदेशालय) ।
9. र०मं० (वित्त) रोकड़ अनुभाग-2 प्रतियां) ।

र०मं०(वि०प्र०) अ०वि० सं० 230(1)/2009/बजट-11 दिनांक 9.12.2013

प्रति प्रेषित- 1. रक्षा (एन-1), 2. रक्षा (एन-11), 3. रक्षा (वायु-1), 4. रक्षा (वायु-IV), 5. जेडीएमसी-1 कमरा संख्या 392, सेना मुख्यालय, 6. रक्षा (उत्पादन), 7. रक्षा(ओ-1), 8. रक्षा(जीएस-IV), 9. एमजीओ(पीपीओ-04), 10. एमजीओ (पीपीव-5), 11. एमजीओ(पीपीओ-3), 12. आईएफए(सेना), 13. आईएफए(नौसेना), 14. आईएफए(वायुसेना), 15. निदेशक (पीएंडसी), 16. निदेशक (वित्त/ओ), 17. निदेशक (वा०से०/उपस्कर), 18. निदेशक (वित्त/अनु० एवं विकास), 19. निदेशक (डीपी), 20. निदेशक(वायु/संगठन), 21. निदेशक (वित्त/पीएसयू), 22. रक्षा मंत्रालय (रोकड़ अनुभाग)-दो प्रतियां, 23. डीजीक्यूए, 24. एपीएमओ (बजट), 25. वित्त/ओ2पी, 26. एमजीओ/ईएम(जीएस एंड सी) 27. डी०इ०ए० (जी०इ०ए०)

इन्हें भी प्रति प्रेषित :- 1. र०ले०मं०नि० नई दिल्ली, 2. र०ले०नि० मुख्यालय, नई दिल्ली, 3. र०ले०नि०(अनु० एवं विकास) र०ले०नि० (नौसेना), मुम्बई, 5. परियोजना प्रबंधक एपीएमओ वायुसेना मुख्यालय, 6. वित्त नियंत्रक, आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता, 7. सहायक निदेशक (बजट) तट रक्षक मुख्यालय, नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली, 8. रक्षा लेखा नियंत्रक (अनु० एवं विकास) बंगलुरु, 9. सीसी और एफवाईएस कोलकाता, 10. र०ले०नि० (सीमा सड़क), सीमा सड़क भवन, रिंग रोड नारायण, दिल्ली छावनी, 11. आईएफ सेना(एम) कश्मीर हाऊस, नई दिल्ली, 12. र०ले०नि० 107, लोवर अग्रम रोड, अग्रम पोस्ट बंगलुरु ।

11

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATION
NO.117/2013-CUSTOMS (N.T.)

DATED THE 5th December, 2013
14 Agrahayana, 1935(SAKA)

S.O. (E). – In exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in super session of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.112/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 21st November, 2013 *vide* number S.O.3453 (E), dated the 21st November, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such super session, the Central Board of Excise and Customs hereby determines that the rate of exchange of conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of each of Schedule I and Schedule II annexed hereto into Indian currency or *vice versa* shall, with effect from 6th December, 2013, be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof, for the purpose of the said section, relating to imported and export goods.

SCHEDULE-I

S.No.	Foreign Currency	Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees	
		(3)	
		(a)	(b)
(1)	(2)	(For Imported Goods)	(For Export Goods)
1.	Australian Dollar	56.50	55.15
2.	Bahrain Dinar	168.60	159.35
3.	Canadian Dollar	58.60	57.15
4.	Danish Kroner	11.45	11.10
5.	EURO	84.85	82.90
6.	Hong Kong Dollar	8.05	7.90
7.	Kuwait Dinar	224.55	212.05
8.	New Zealand Dollar	51.40	50.10
9.	Norwegian Kroner	10.20	9.90
10.	Pound Sterling	102.30	100.05

Contd. 28

11.	Singapore Dollar	49.80	48.65
12.	South African Rand	6.10	5.75
13.	Saudi Arabian Riyal	16.95	16.00
14.	Swedish Kroner	9.65	9.35
15.	Swiss Franc	69.40	67.55
16.	UAE Dirham	17.30	16.35
17.	US Dollar	62.30	61.30

SCHEDULE-II

No.	Foreign Currency	Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees	
		(a)	(b)
(1)	(2)	(3)	(4)
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
1.	Japanese Yen	61.10	59.65
2.	Kenya Shilling	73.45	69.20

[F.No.468/03/2013-Cus.V]

(M. SATISH KUMAR REDDY)
 DIRECTOR (ICD)
 TELE: 2309 3380